

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-2(F) / इग्नू / आई-2 (II) / 2019 /

दिनांक.-

आदेश

निम्नांकित नर्स-2 को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोर्स वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 पत्राचार के माध्यम से करने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

क्र० स०	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	कोर्स जिसकी अनुमति दी जानी है
1	रेणू मीना, नर्स-2	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा	रेलवे भर्ती बोर्ड में रूचना सख्या 2 स्टाफ नर्स-2 पद की परीक्षा हेतु अनुमति
2	शशुफता सैय्यद, नर्स-2	अधीक्षक, माथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर	एम्स द्वारा प्रायोजित परीक्षा की अनुमति
3	अमिता कारवाल, नर्स-2	अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर	आरएएस की परीक्षा में बैठने की अनुमति
4	हेमलता मीणा, नर्स-2	अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, कोटा	राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सयुक्त सेवाएं प्रतियोगी परीक्षा की अनुमति

उक्त कर्मियों को निम्न शर्तों पर वांछित स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
 2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
 3. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ की मांग नहीं करेगा।
 4. चयन होने पर नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत करा/कार्यमुक्त होकर ही कार्यग्रहण करना होगा।
 5. परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
 6. कोर्स/परीक्षा की तैयारी एवं नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
 7. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
- नोट-सविदा कर्मियों के मामले में उक्त आदेश/स्वीकृति लागू नहीं होगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-2(F) / इग्नू / आई-2 (II) / 2019 / 976

दिनांक.- 15/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवाये, जोन ।
2. अधीक्षक, मातृ एवं शिशु केन्द्र मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर / सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर / नवीन चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, कोटा।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, दौसा।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर